न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 51/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 7.8.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. जाकिर हुसैन आत्मज पीर मोहम्मद निवासी ग्राम बासी तहसील नैंनवा जिला बूंदी राज0।
2. पीर मोहम्मद आत्मज जूमा निवासी बासी तहसील नैंनवा जिला बूंदी राज0।

..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर बूंदी–राज0।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री महेश योगी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.3.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित आदेश संख्या–159 दिनांक 10.2.2017 से उप निवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 1974 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम बांसी पटवार मण्डल बांसी की (जेरअपील आदेश के क्रम सं0 1 से 24 तक) भूमि को आबादी विस्तार ग्राम पंचायत बांसी को अनुबन्ध एवं शर्तो पर एतद्द्वारा आवंटन के विरूद्ध इस न्यायालय मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तथ्य व दस्तावेजो का अवलोकन किये ही विभिन्न खसरा नम्बर की भूमि का किया गया आवंटन त्रुटि पूर्ण होने से निरस्तनीय है। अपीलांट विवादित आराजी पर बरसों से काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि गांव से काफी दूर होने से वहां पर आबादी संभव नही है। अपीलांट उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की स्थिति का अवलोकन किये ही आवंटन आदेश जारी किया है जो प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त आराजी के अपीलार्थी समीपवर्ती खातेदार काश्त भी है तथा वर्षो से इस भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है प्रथम दृष्टया उक्त आराजी पर अपीलार्थी का अधिकार है इस संबध मे अपीलांट समुचित शुल्क भी जमा कराने को तैयार रहे है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आवंटन आदेश पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि कृषि योग्य आराजी का आवंटन नही किया जा सकता। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 10.2.2017 मे अंकित आराजी जिस पर अपीलांट काबिज काश्त मे किया गया आवंटन

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष मे नियमन किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तथ्य व दस्तावेजो का अवलोकन किये ही विभिन्न खसरा नम्बर की भूमि का किया है। उक्त भूमि गांव से काफी दूर होने से वहां पर आबादी संभव नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की स्थिति का अवलोकन किये ही आवंटन आदेश जारी किया है। उक्त आराजी के अपीलार्थी समीपवर्ती खातेदार काश्त भी है तथा वर्षो से इस भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है प्रथम दृष्टया उक्त आराजी पर अपीलार्थी का अधिकार है इस संबध मे अपीलांट समुचित शुल्क भी जमा कराने को तैयार रहे है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आवंटन आदेश पारित कर त्रुटि की है।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि तहसीलदार नैनंवा के प्रस्ताव अनुसार आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत बांसी को आवंटित की है। उक्त भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है एवं पूर्व से ही आबादी बसी हुई। उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.2.13 के अनुसार प्रस्तावित भूमि की निर्धारित राशि तहसील नैंनवा मे जमा की जा चुकी है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का विधि अनुसार कोई हक अधिकार नही होने से व्यथित पक्षकार नही है। अतः अपील पेश करने का उसको कोई अधिकार नही है। अपीलांट ने व्यथित पक्षकार होने से अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ अपील पेश नही की है ऐसी स्थिति मे अपील पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। अपील पोषणीय नही होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

6. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। जिला कलक्टर बूंदी द्वारा आदेश संख्या–159 दिनांक 10.2.2017 से उप निवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 1974 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम बांसी पटवार मण्डल बांसी की (जेरअपील आदेश के क्रम सं0 1 से 24 तक) भूमि को तहसीलदार नैंनवा के प्रस्ताव अनुसार आबांदी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत बांसी को अनुबन्ध एवं शर्तो पर एतद्द्वारा आवंटन किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि वादग्रस्त उक्त भूमि गांव से काफी दूर होने से वहां पर आबादी संभव नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की स्थिति का अवलोकन किये ही आवंटन आदेश जारी किया है। उक्त आराजी के अपीलार्थी समीपवर्ती खातेदार काश्त भी है तथा वर्षो से इस भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है प्रथम दृष्टया उक्त आराजी पर अपीलार्थी का अधिकार है इस संबध मे अपीलांट समुचित शुल्क भी जमा कराने को तैयार रहे है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आवंटन आदेश पारित कर त्रुटि की है। इसके विपरीत विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क रहा है कि उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.2.13 के अनुसार प्रस्तावित भूमि की निर्धारित राशि तहसील नैंनवा मे जमा कराई जाकर वादग्रस्त भूमि

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

का तहसीलदार नैंनवा के प्रस्ताव अनुसार आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत बांसी को आवटित की गई है। वादग्रस्त भूमि पर विधि अनुसार अपीलांट का कोई हक अधिकार नही होने से वह व्यथित पक्षकार नही है। अतः अपील पेश करने का अपीलांट को कोई हक अधिकार नही है। उभय पक्षकारान के उपरोक्त तर्क पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलांट ने व्यथित पक्षकार होने की अनुमति हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नही किया ऐसी स्थिति मे अपीलांट व्यथित पक्षकार नही होने से अपील पोषणीय नही है। अपीलांट उक्त आदेश मे पक्षकार नही है। इसलिये हितबद्ध पक्षकार नही होने से उसको जेरअपील आदेश को चेंलेन्ज करने का अधिकार नही होने से अपील पोषणीय नही है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

22/3/21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा